कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01,पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.07771–4051036 ई.मेल.eenhdn_1@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 34

प्रमाण पत्र

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र
(यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

संलग्न है।

(बी. श्रीनिवास राव)
कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)

(एस. पी. पैकरा)
वन संरक्षक
प्रभारी वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल,बालोद

FORM -1

(For Linear Project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector –Balod

No. 155

Date 29/06/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the **ministry of Environment and Forest (MoEF),** Government of India's letter no. **11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009** wherein the **MoEF** issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers **(Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short)** on the forest land proposed to be diverted for non Forest purpose read with MoEF's letter **dated 5th February 2013** wherein MoEF issued certain relaxation in respect of Linear Project it is certified that **26.471 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Chief Engineer, PWD National Highway Zone Raipur for Widening and Upgrading to 2/4 lane in Purur-Jhalmala-Balod-Manpur-kokha section (Chhattisgarh/Maharastra Border) of NH 930 in the state of Chhattisgarh** Under Corridoor scheme on Basic in Balod District falls within Jurisdiction of Balod.

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **26.471 Hectares** forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meetings of the forest Right committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level committee(s) are enclosed as annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

29/6

(Dr. Saransh Mittar)
Collector
District -Balod (C.G.)

"प्रदर्श–स"

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र0 01 पेंशनबाड़ा रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में बालोद वनमण्डल के **ग्राम दैहान** के आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल **रकबा 8.898 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930, पुरूर–झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित वन भूमि 7.369 हे.एवं संरक्षित वन भूमि 1.529 हे. कुल 8.898 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम दैहान तहसील बालोद में** स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **17/04/2017 (प्रदर्श–"ब")** एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"अ")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम दैहान के सरपंच श्रीमती राजेश्वरी कोमरे** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/04/2017 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 75 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	दैहान	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/04/2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार " **अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**" की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 17/04/2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

4/5/18

दिनांक 04/05/2018

नाम (सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद

"प्रदर्श–स"

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र0 01 पेंशनबाड़ा रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में बालोद वनमण्डल के **ग्राम अमलीडीह** के आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल **रकबा 8.874 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930, पुरूर–झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित कुल 8.874 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम अमलीडीह तहसील बालोद में** स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **17/04/2017 (प्रदर्श–"ब")** एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"अ")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम पंचायत खेरथाडीह (आश्रित ग्राम अमलीडीह) के सरपंच श्रीमती राजेश्वरी कोमरे** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **17/04/2017** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 75 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	**अमलीडीह**	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **17/04/2017** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार " **अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**" की धारा 3 (1)(c) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **17/04/2017** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

4/5/18

दिनांक 04 /05/ 2018

नाम (सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद

प्रदर्श–"अ"

वन तथा राजस्व विभाग अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर– झलमला– बालोद– कुसुमकसा– मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु बालोद जिले के बालोद तहसील एवं बालोद वनमण्डल के बालोद परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम देहान** के कम्पाटमेन्ट नंबर **RF 92** में **2.653 हे.** एवं **RF 97** में **4.716** हे. कुल आरक्षित वनभूमि **7.369 हे.** एवं संरक्षित वनभूमि कम्पाटमेन्ट नंबर **PF 257** में कुल **संरक्षित वनभूमि 1.529 हे.** **कुल वनभूमि 8.898 हे.** के गैरवानिकी कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 08-01-2018 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों कि उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया किया गया।
3. राजस्व वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिपेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्रायः जनजाति समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
6. व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

Sub Eng
NH BALOD

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बालोद परिक्षेत्र

राजस्व निरीक्षक
बालोद

तहसीलदार
बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

एस.एल. ग्रालेकर
[illegible]
सह./[illegible] बालोद

Sub Divisional Officer
P.W.D. National Highway Sub-Dn
BALOD (C.G.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

ग्राम सभा देहान की बैठक दिनांक 17-11-2017 प्रदर्श—"ब"

ग्राम :— देहान

स्थान :— देहान

का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 17-11-2017 को ग्राम देहान के संरपंच श्री/श्रीमती राजेश्वरी कोमरे की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य 75% प्रतिशत उपस्थिति थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :—

दिनांक 17-11-2017

1. ग्राम देहान .... में आवेदक कार्य. अभि. रा. रा. संभाग रायपुर के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 8.898 हे. वन भूमि .... — हे. राजस्व वन भूमि, कुल 8.898 हे० (गैरवानिकी कार्य) के .... हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रा. रा. 930 30.600 से 66.300 तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य .... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूनि पर नही दिया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपराग वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:—

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	देहान	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 8.898 हे० हे. वन भूमि/........ हे. राजस्व वन भूमि कुल योग 8.898 हे० .... हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स. ....(आवेदक) कार्य. अभि. रा. रा. रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर राजेश्वरी कोमरे

ग्राम पंचायत ....
जि.ज.व जि. बालोद (छ.ग.)
दिनांक........

उपस्थित सदस्य गणः

क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अगूंठा निशान

1. मीना डोंगरे
2. कुमारीबाई
3. गीतेश्वरी
4. अहिल्या बाई
5. कचराबाई
6. जानकी बाई
7. देवकी नाराम
सुदामाबाई

त्रिवेणीबाई
दुकलहिन बघेल
बसन्ताबाई
मालती बाई
नन्दकीबाई
मोतीराम
....
....
....

दुर्योधन
गिरीहराम
.... कोटवार

SE NG
NH BALOD

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बालोद परिक्षेत्र

तहसीलदार
बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

Sub Divisional Officer
P.W.D. National Highway ....

Scanned by CamScanner

ग्राम सभा कार्यवाही ग्राम ~~देवरान~~ देवरान, अमलीडीह

ग्राम पंचायत, खेरथाडीह ... बालोद जि. बालोद (छ.ग.)

नमूना 5 ब

ग्राम पंचायत कार्यवाही प्रपत्र

(फिकरा 43-7)

तारीख	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	किया गया कार्य संक्षेप में कार्यवाही	पास हुए प्रस्ताव	पंचो के हस्ता या अंगूठे के निशान
-2017					
(1)	श्रीमती राजेश्वरी	विषय (1)	प्रस्ताव > उपस्थित सदस्यों	सर्व सम्मति	सही
	कोमरे सरपंच	ग्राम देवरान की सड़क	का द्वारा ग्राम सभा की बैठक	से	
(2)	श्रीमती मीना डोंगरे.	की चौड़ीकरण में	में आहूत ग्राम देवरान में निर्णय	पारित।	
	पंच	किसी को आपत्ति न	लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग		
(3)	श्रीमती जानकी बाई	होने के संबंध में	परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय		
(4)	श्रीमती देवकी बाई		राजमार्ग क्रमांक/930 के		
(5)	" कुमारी बाई		झलमला से पोहरा, महाराष्ट्र		
(6)	" सम्मतीन बाई		सीमा तक मार्ग का 2/4 लेन		
(7)	" तोरण बाई पंच		चौड़ीकरण का कार्य जो जिला		
(8)	" कचरा बाई पंच		बालोद के तहसील बालोद		
(9)	" ननकी बाई		एवं डौंडी के रास्ते ग्राम		
(10)	" तिलोती बाई		झलमला, सिवनी, देवतराई		
(11)	" कुमल हीतन बाई		हीरापुर, बालोद, देवरान,		
(12)	" मेंदी बाई		कनगांव, पाकीटोला, गुजरा,		
(13)	" जगेश्वरी बाई		सुकरडीह, जमड़ी, कोकड़ीटोला।		
(14)	" मालती बाई		कुसुम कसा, आरकुर कसा आदि		
(15)	श्री तुलसी राम		जगह का चौड़ीकरण होना है।		
(16)	श्रीमती सुदामा बाई		जिसमें ग्राम देवरान की सड़क		
(17)	श्री दुर्योधन		की चौड़ीकरण होना है।		
(18)	श्री लक्ष्मण		इसमें ग्राम देवरान व ग्राम		
(19)	श्री गिरीट राम		पंचायत को कोई आपत्ति		
(20)	श्री अकलू राम		नहीं है।		
	कोटवार				
					सही

यह सत्य प्रतिलिपि है

सचिव
ग्राम पंचायत, खेरथाडीह
ज.प. बालोद जिला बालोद (छ.ग.)
दिनांक........

राजेश्वरी कोमरे
सरपंच
ग्राम पंचायत खेरथाडीह
वि.ख.व जि. बालोद (छ.ग.)
दिनांक..........

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–"ब"

ग्राम सभा ......देहान...... की बैठक दिनांक 17-4-2017

का कार्यवाही विवरण

ग्राम :– देहान..........................

स्थान :– देहान..........................

दिनांक 17-4-2017

आज दिनांक 17-4-2017 को ग्राम ....देहान..... के संरपंच श्री/श्रीमती ....राजेश्वरी कोमरे .... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य 75%प्रतिशत् उपरिथति थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम .... में आवेदक .... ने (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु .... हे. वन भूमि .... हे. राजस्व वन भूमि,कुल............ .....हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि .... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी,गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपराग वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	देहान	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि .... हे. वन भूमि/................ .... हे. राजस्व वन भूमि कुल योग .... हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स. ....(आवेदक).. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर राजेश्वरी कोमरे

सरपंच

ग्राम पंचायत खेरथाडीह

वि.ख.व जि. बालोद (छ.ग.)

दिनांक................

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर/अगूंठा निशान	
1	मीना डोंगरे	त्रिवेणीबाई	
2	कुमारीबाई	दुकलहिन बघेल	दुर्योधन
3	गीतेश्वरी	बसन्ताबाई	गिरीहराम
4	अहिल्या बाई	मालती बाई	[illegible]
5	कचराबाई	[illegible]बाई	केटवार
6	जानकी बाई	मोतीराम	
7	देवकी नारम	[illegible]	
	सुदामाबाई	[illegible]	
		[illegible]	

तहसीलदार

बालोद,

Scanned by CamScanner

ग्राम सभा कार्यवाही ग्राम देवरान

ग्राम पंचायत, खेरथाडीह जा. क्र. 161 ...25...2... बालोद जि. बालोद (छ.ग.)

नमूना 5 ब

ग्राम पंचायत कार्यवाही प्रपत्र

(फिकरा 43–7)

क्र	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	किया गया कार्य संक्षेप में कार्यवाही	पास हुए प्रस्ताव	पंचो के हस्ता या अंगूठे के निशान
017 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)	श्रीमती राजेश्वरी कोसरे सरपंच श्रीमती मीना डोंगरे पंच श्रीमती जानकीबाई श्रीमती देवकी बाई " कुमारी बाई " [illegible] बाई " तीजाबाई पंच " कचरा बाई पंच " ननकी बाई " तिजोबाई " कुकल हीनबाई " गेंदी बाई " जोगेश्वरी बाई " मालती बाई श्री तुलसी राम श्रीमती सुदामा बाई श्री दुर्योधन श्री लक्ष्मण श्री गिरीट राम श्री अकलु राम कोटवार	विषय (5) ग्राम देवरान की सड़क की चौड़ीकरण में किसी को आपत्ति न होने के संबंध में	प्रस्ताव → उपस्थित सदस्यों द्वारा ग्राम सभा की बैठक में आहूत ग्राम देवरान में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के झलमला से कोहका, महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग का 2/4 लेन चौड़ीकरण का कार्य जो जिला बालोद के तहसील बालोद एवं डौंडी के रास्ते ग्राम झलमला, सिवनी, देवतराई, हीरापुर, बालोद, देवरान, बनगांव, टालीटोला, गुजरा, सुनरकोंड, जमड़ी, शिकारीटोला, कुसुमकसा, आरमुरकसा आदि जगह का चौड़ीकरण होना है। जिसमें ग्राम देवरान की सड़क भी चौड़ीकरण होना है। इसमें ग्राम देवरान व ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	सर्व सम्मति से पारित।	सही सही

यह सत्य प्रतिलिपी है

सचिव
ग्राम पंचायत, खेरथाडीह
वि.ख. बालोद जिला बालोद (छ.ग.)
दिनांक........

राजेश्वरी कोसरे
सरपंच
ग्राम पंचायत खेरथाडीह
वि.ख.व जि. बालोद (छ.ग.)
दिनांक........

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत दानीटोला,विकासखंड डौण्डी,जिला बालोद ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही प्रतिलिपि

क्र	ग्राम सभा उपस्थित सदस्य संख्या	विषय	कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पास की गई	पंचों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
25/4/2017	ग्रामसभा की उपस्थिति संख्या -16	प्रस्ताव 19 राष्ट्रीय मार्ग 130 के किमीटर तक (पुरुर, कलकसा, कुसुमकसा, भानपुर, कोहका) मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य बाबत।	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के समक्ष राष्ट्रीय मार्ग 130 के कि.मी. .... से .... तक (पुरुर, कलकसा, कुसुमकसा, भानपुर, कोहका) मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के संबंध में पढ़कर सुनाया गया। जिसे ग्राम सभा में कोई आपत्तियां नहीं किया गया। जिसे राष्ट्रीय राज मार्ग बनने में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। टीप:- ग्राम पंचायत मुख्यालय के अन्तर्गत ग्राम दानीटोला के ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है।	प्रस्ताव 19 राष्ट्रीय मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।	सही/अस्पष्ट

सचिव
ग्राम पंचायत दानीटोला
वि.ख. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत दानीटोला
वि.ख. डौण्डी जिला बालोद (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–"ब"

ग्राम सभा __अमलीडीह__ की बैठक दिनांक 17-4-2017 का कार्यवाही विवरण

ग्राम :–

स्थान :– अमलीडीह

अमलीडीह

दिनांक 17-4-2017

आज दिनांक 17-4-2017 को ग्राम अमलीडीह के संरपंच श्री/श्रीमती शारेश्वरी कोमरे .... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य 75% प्रतिशत् उपस्थिति थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम अमलीडीह में आवेदक कार्य. अभि. रा. रा. सम्भाग रायपुर (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 8.874 हे. हे. वन भूमि .... हे. राजस्व वन भूमि,कुल 8.874 हे. ....हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावद् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावद् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रा.रा. 930 कि.मी. 30.600 से 68.300 में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी,गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपराग वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	अमलीडीह	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 8.874 हे. वन भूमि/ – .... हे. राजस्व वन भूमि कुल योग 8.874 हे. हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स. ....(आवेदक) कार्य. अभि. रा. रा. सम्भाग रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

उपस्थित सदस्य गण:

हस्ताक्षर शारेश्वरी कोमरे
सरपंच
ग्राम पंचायत खेरथाडीह
वि.ख.व जि. बालोद (छ.ग.)
दिनांक 17-04-2017

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
1	मीना डोंगरे	त्रिवेणीबाई
	कुमारीबाई	दुकलहिन बघेल
3	गीतेश्वरी	बसन्ताबाई
4	अहिल्या बाई	मालती बाई
5	कचराबाई	नमकीबाई
6	जानकी बाई	मोतीराम
7	देवकी तारम	दुखमहिन
	सुदामाबाई	रुक्मणी

दुर्योधन

गिरीश

Sub Divisional Officer
P.W.D. National Highway Sub-D
BALOD (C.G.)

SI Eng
NH BALOD

कोटवार

तहसीलदार
बालोद

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बालोद परिक्षेत्र

तहसीलदार
बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ग्राम सभा कार्यवाही ग्राम ... देऊरन, अमलीडीह

ग्राम पंचायत, खेरथाडीह
जा. क्र. 161
दि. 25-11-2...
बालोद जि. बालोद (छ.ग.)

नमूना 5 ब

ग्राम पंचायत कार्यवाही प्रपत्र

(फिकरा 43-7)

तारीख	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	किया गया कार्य संक्षेप में कार्यवाही	पास हुए प्रस्ताव	पंचों के हस्ता या अंगूठे के निशान
...-2017 (1)	श्रीमती राजेश्वरी	विषय (1)	प्रस्ताव → उपस्थित सदस्यों	सर्व सम्मति	सही
	कोमरे सरपंच	ग्राम देऊरन की सड़क	का द्वारा ग्राम सभा की बैठक	से	
(2)	श्रीमती मीना डोंगरे	की चौड़ीकरण में	में आश्रित ग्राम देऊरन में निर्णय	पारित।	
	पंच	किसी को आपत्ति न	लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग		
	श्रीमती जानकी बाई	होने के संबंध में	परियोजना रायपुर द्वारा राष्ट्रीय		
(4)	श्रीमती देवकी बाई		राजमार्ग क्रमांक/930 के		
(5)	" कुमारी बाई		झलमला से कोहका, महाराष्ट्र		
(6)	" ... बाई		सीमा तक मार्ग का 2/4 लेन		
(7)	" तोषा बाई पंच		चौड़ीकरण का कार्य जो जिला		
(8)	" कचरा बाई पंच		बालोद के तहसील बालोद		
(9)	" ननकी बाई		एवं डौण्डी के रास्ते ग्राम		
(10)	" त्रिवेणी बाई		झलमला, सिवनी, देवतराई		
(11)	" कुंवल हीरन बाई		हीरापुर, बालोद, देऊरन,		
(12)	" मेंदी बाई		बगगांव, ठानीखिला, गुजरा,		
(13)	" योगेश्वरी बाई		खुरसीटोला, अमली, सिकारीटोला,		
(14)	" मालती बाई		कुसुमकसा, अरमुरकसा आदि		
(15)	श्री कुलेसी राम		जगह का चौड़ीकरण होना है।		
(16)	श्रीमती सुदामा बाई		जिसमें ग्राम देऊरन की सड़क		
(17)	श्री दुर्योधन		भी चौड़ीकरण होना है।		
(18)	श्री लक्ष्मण		इसमें ग्राम देऊरन व ग्राम		
	श्री गिरीट राम		पंचायत को कोई आपत्ति		
(20)	श्री अकलू राम		नहीं है।		
	कोटवार		अत: आश्रित ग्राम अमलीडीह		
			में उक्त चौड़ीकरण एवं उन्नयन		
			कार्य में कोई आपत्ति नहीं		सही
			है। राजेश्वरी कोमरे		
			सरपंच ग्राम पंचायत खेरथाडीह वि.ख. बालोद जि. बालोद (छ.ग.)		

यह सत्य प्रतिलिपी है

सचिव
ग्राम पंचायत, खेरथाडीह
... जिला बालोद (छ.ग.)

राजेश्वरी
सरपंच
ग्राम पंचायत खे...
वि.ख.व जि. बालोद
दिनांक........

"प्रदर्श—स"

प्रमाण पत्र

मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में आरक्षित वनमण्डल बालोद/में **ग्राम दानीटोला** के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.0500 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930 के पुरूर–झलमला – बालोद –कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/3 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 1.0500 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम दानीटोला, तहसील डौण्डी** में स्थित है तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

3. ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **25/04/2017** (प्रदर्श–"ब") एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"अ") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव (**ग्राम पंचायत दानीटोला.**) **ग्राम के सरपंच श्रीमति महेश्वरी अलेन्द्र** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 25/04/2017 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	**दानीटोला**	**निरंक**	**निरंक**

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 61 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/04/2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार **" अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

7. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **25/04/2017** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

दिनांक 12/05/2017

नाम (राजेश सिंह राणा)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद

वन तथा राजस्व विभाग अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर-छत्तमारा-डलोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु बालोद जिले के डौण्डी तहसील के अन्तर्गत ग्राम दानीटोला का खसरा नं 307 रकबा 1.05 हेक्टेयर के गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 08-01-2018 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों कि उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया किया गया।
3. राजस्व वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परम्परागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारम्परिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परम्परागत वन निवासी का नही पाया गया।
4. कडिका 3 मे उल्लेखित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नही है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
6. व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

Sub Eng

राजस्व निरीक्षक
रा. नि. म. दल्ली राजहरा
तह. डौंडी, जि. बालोद (छ.ग.)

प.ह.नं. 01

तहसीलदार
प्रभारी अधिकारी
डौंडी जिला-बालोद (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बालोद परिक्षेत्र

प्रपत्र-"ब"

ग्राम सभा ...दानीटोला... की बैठक दिनांक 25/04/2017 का कार्यवाही विवरण

ग्राम - दानीटोला

... - ?

ग्राम पंचायत भवन

दिनांक 25/04/2017

आज दिनांक 25/04/2017 को ग्राम दानीटोला के सरपंच-श्री/श्रीमती .... की अध्यक्षता मे ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य 61% प्रतिशत उपस्थिति थे। बैठक मे निम्न विषयो पर चर्चा की गई –

1. ग्राम दानीटोला .... मे आवेदक .... ने (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु .... है. वन भूमि 0.000 हे राजस्व वन भूमि कुल 1.050 हे. हे वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद ग्राम सभा की बैठक मे विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानो पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि .... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, मे कोई भी आदिवासी.गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपराग वनवासी व्यक्तियो को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे मे)
	दानीटोला	--	--

अतः यह एकमत से ग्राम सभा मे निर्णय लिया गया कि .... है. वन भूमि / 0.00 हे. राजस्व वन भूमि कुल योग 1.05 हे. है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स .... (आवेदक) .... को अन्य प्रचलित नियमो एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर ....

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

ग्राम प... ...
जि.ब. ... (छ.ग.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
गुरुर...

तहसीलदार
...डी
जि. बालोद (छ.ग.)

... सिंह राव

... तहसील
... (छ.ग.)

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
... / ...

... अधिकारी
...

"प्रदर्श–स"

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र0 01 पेंशनबाड़ा रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में बालोद वनमण्डल के **ग्राम झीकाटोला** के आरक्षित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.146 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930, पुरूर–झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित कुल 1.146 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम झीकाटोला तहसील डौण्डी में** स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **17/04/2017 (प्रदर्श–"ब")** एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"अ")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम पंचायत धोबेदंड के सरपंच श्रीमती पांचोबाई मरकाम** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **17/04/2017** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 57 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	**झीकाटोला**	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **17/04/2017** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार **" अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1)(e) अन्तार्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **17/04/2017** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

4/5/18

दिनांक 04/05/2018

नाम (सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद

(11)

प्रदर्श—"अ"

वन तथा राजस्व विभाग अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर– झलमला– बालोद– कुसुमकसा– मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु बालोद जिले के तहसील डौण्डी के दल्ली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धोबेदंड का आश्रित ग्राम झिंकाटोला के कम्पार्टमेन्ट नंबर RF 148 में कुल आरक्षित वनभूमि 1.146 हे. कुल वनभूमि 1.146 हे. के गैरवानिकी कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 08-01-2018 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों कि उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया किया गया।
3. राजस्व वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिपेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्रायः जनजाति समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
6. व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

SubEN NH, BALOD

वन परिक्षेत्र अधिकारी
दल्ली राजहरा

राजस्व निरीक्षक
रा. नि. म. दल्ली राजहरा
तह. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

तहसीलदार
डौण्डी
जि. बालोद (छ.ग.)

Pandaw
P.C.N.B

Scanned by CamScanner

(13)

प्रदर्श–"ब"

ग्राम सभा ...छीकाटोला... की बैठक दिनांक 17/04/2017 का कार्यवाही विवरण

ग्राम :– छीकाटोला

दिनांक 19/4/2017

स्थान :– सामुदायिक भवन

आज दिनांक 17/04/2017 को ग्राम .....धोबेदण्ड..... के संरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ...82... सदस्य 57% प्रतिशत् उपस्थिति थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम छीकाटोला में आवेदक [illegible] (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.146 हे० हे. वन भूमि ...—... हे. राजस्व वन भूमि,कुल 1.146 हे० ......हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि [illegible] 530 में कि.मी. 30.600 से 68.300 तक [illegible] कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी,गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपराग वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	छीकाटोला	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 1.146 हे० हे. वन भूमि/ ....—.... हे. राजस्व वन भूमि कुल योग ....1.146 हे०.... हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स. .....—..... (आवेदक) [illegible] को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

दि. 19/04/2017 क्र. 326

सचिव ग्राम पंचायत धोबेदण्ड ज.पं.-डौण्डी, जि.-बालोद (छ.ग.)

4/3/57

सरपंच ग्राम पंचायत धोबेदण्ड

हस्ताक्षर ....
वि.ख.डौण्डी, जि.बालोद छ.ग.

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अगूंठा निशान

Komal Singh Nandan

दलीप कुमार [illegible]
पटवारी ह. नं. 8
तह. - डौण्डी (छ.ग.)

तहसीलदार
डौण्डी
जि. बालोद (छ.ग.)

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
कुसुमकसा

सदस्य सचिव
रा. नि. मं. दल्ली राजहरा
तह.- डौण्डी, जि.-बालोद (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बालोद [illegible]

Scanned by CamScanner

(12)

कार्यालय ग्राम पंचायत धोबेदण्ड, जनपद पंचायत डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

बैठक दिनांक 27/01/2018

नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पारित हुआ	उप. पंचों के हस्ता.
		प्र०क्र. (15)		
1. श्रीमती पांचोबाई मरकाम	सरपंच	आज दिनांक 27/01/2018 को ग्राम सभा में	प्र०क्र. (15)	
2. श्री पुरन सिंह कुरयाम	उपसरपंच	उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि	यह प्रस्ताव	
3. उमेदीराम यादव	पंच प्र०क्र. (15)	कि प्र०क्र० 15 में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 930	सर्व सम्मति	
4. " जारूराम देरो "	राष्ट्रीय राजमार्ग	कि०मी० 30.600 एवं 68.300 कि०मी०	से पारित	
5. " प्रदीप लाल नेताम "	क्रमांक 930 कि०मी०	तक सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य	किया गया।	
6. श्रीमती संवलीबाई पंच	30.600 से	हेतु ग्राम पंचायत धोबेदण्ड को कोई		
7. " उर्मिला बाई "	68.300 कि०मी०	आपत्ति नहीं है।		सही.
8. " दुर्गा बाई "	तक सड़क चौड़ी-	अतः ग्राम सभा द्वारा		
9. " जानीबाई "	करण एवं उन्नयन	अनुमोदित किया गया।		
10. " बीनूबाई "	कार्य।	अतः कार्यवाही हेतु प्रेषित है।		
11. श्री नवल सिंह धारव "				
12. " गंगाराम "				
13. श्रीमती छबिलाबाई "				
14. " मीराबाई "				
15. " हेमबाई "				
16. श्री ताराचंद "				
16. " मोहन सिंह नारम "				
17. " नीलबाई "				
" परमानंद "				
19. श्रीमती हेमिनबाई				

सचिव
ग्राम पंचायत धोबेदण्ड
वि.खं. डौण्डी ग्राम पंचायत

सरपंच
ग्राम पंचायत धोबेदण्ड
डौण्डी ग्राम पंचायत

जारी दिनांक ....

सत्यप्रतिलिपि

Scanned by CamScanner

कार्यालय सरपंच......धोबेदण्ड......

ग्राम पंचायत ......धोबेदण्ड...... जिला ......बालोद......

दि. 19.1.5.2017
क्र. 326

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–930 को पुरूर–झलमला–लोद–कुसुमकसा–मानपुर–कोहका (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) को 2/4 लेन चौड़ीकरण पेव्हड शोल्डर का निर्माण किया जाना है। निर्माण से गुजरने वाली सड़क से ग्राम पंचायत ...धोबेदण्ड... को कोई आपत्ति नही है।

लोकहित कि इस परियोजना को शीघ्र निर्माण किये जाने की अनुशंसा की ती है।

ग्राम वासी

सचिव
ग्राम पंचायत धोबेदण्ड
ज.पं.-डौण्डी, जि.-बालोद (छ.ग.)

4/5/17
सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत धोबेदण्ड
ज.पं. डौण्डी जि.बालोद(छ
ग्राम पंचायत.......................

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–"अ"

वन तथा राजस्व विभाग अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरूर– झलमला– बालोद– कुसुमकसा– मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु बालोद जिले के तहसील डौण्डी के **डौण्डी परिक्षेत्र** के अन्तर्गत ग्राम हितकसा के कम्पार्टमेन्ट नंबर RF 163, RF 164, RF 170, में कुल आरक्षित वनभूमि 6.503 हे. कुल वनभूमि 6.503 हे. के गैरवानिकी कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 08-01-2018 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों कि उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया किया गया।
3. राजस्व वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिपेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य कर अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि का व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी अथवा अन्य परंपरागत वन निवासी का नही पाया गया।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्रायः जनजाति समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
6. व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

Sub Eng
NH, BALOD

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बा... डौण्डी

राजस्व निरीक्षक
रा. नि. म. दल्ली राजहरा
तह. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

तहसीलदार
डौण्डी
जि. बालोद (छ.ग.)

Pandavi
P-Cab.18

Scanned by CamScanner

"प्रदर्श–स"

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र0 01 पेंशनबाड़ा रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में बालोद वनमण्डल के **ग्राम हितेकसा** के आरक्षित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल **रकबा 6.503 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930, पुरूर–झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित कुल 6.503 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम हितेकसा तहसील डौण्डीलोहारा में** स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **24/04/2017 (प्रदर्श–"ब")** एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"अ")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम पंचायत बिटाल (के सरपंच श्री शंकर लाल गावड़े** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **24/04/2017** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 65 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	**हितेकसा**	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **24/04/2017** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार " **अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**" की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **24/04/2017** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

04/5/18

दिनांक 04/05/2018

नाम (सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद

प्रदर्श—"ब"

ग्राम सभा ....बिटाल........ की बैठक दिनांक 25/05/17
का कार्यवाही विवरण

ग्राम :— ......बिटाल (हितकसा)
स्थान :— (ग्राम पंचायत भवन)

दिनांक 25/05/17

आज दिनांक 25/5/2017 को ग्राम ...बिटाल... के सरपंच श्री/श्रीमती .... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ....—........ सदस्य 65% प्रतिशत उपस्थिति थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :—

1. ग्राम ..बिटाल (हितकसा) में आवेदक .... ने (गैरवानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु .....6.503 हे..... हे. वन भूमि ....—....... हे. राजस्व वन भूमि,कुल 6.503 हे. ....हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावद् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि .... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी,गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपराग वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:—

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	हितकसा	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 6.503 हे. हे. वन भूमि/ ....—.... हे. राजस्व वन भूमि कुल योग .....6.503 हे..... हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स. ....(आवेदक)........................को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर........................

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर/अगूंठा निशान
1	भूषणलाल	[signature]
2	ताराचंद	[signature]
3	हरकुदास	
4	पुष्पेन्द्रकुमार	[signature]
5	लालदास	पुष्पेन्द्र कुमार
6	कुदुपराम	[signature]
7	बसंत कुमार मंडावी	कुदुपराम
8	पटवारी ह. नं. 8	[signature]

राजस्व निरीक्षक
रा. नि. मं. दल्ली राजहरा
तह.- डौण्डी, जि.-बालोद (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत बिटाल
वि.खं. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
कुसुमकसा

तहसीलदार
डौण्डी
जि. बालोद (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बालोद परिक्षेत्र

Scanned by CamScanner

(17)

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 24/05/2017

कार्यालय, ग्राम-पंचायत बिटाल

विकास खण्ड डौण्डी तहसील डौण्डी जिला बालोद

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
	ग्राम सभा की उपस्थिति केवल 33	प्रकरण 01	प्रकरण 01	प्रकरण	[illegible]
		राष्ट्रीय मार्ग 930 के किलोमीटर 30600 से 68300 तक (पुरुर, चिलमला, कुसुमकसा, मानपुर, कोलिहा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य बाबत	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को बताया कि राष्ट्रीय मार्ग 930 के कि.मी. 30600 से 68300 तक (पुरुर चिलमला (कुसुमकसा) मानपुर कोलिहा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ जिसे ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं किया गया जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कानून के तहत प्रस्ताव पारित किया गया।	राष्ट्रीय मार्ग चौड़ीकरण उन्नयन कार्य की सहमति का प्रस्ताव पारित किया गया।	

नोट :- ग्राम पंचायत बिटाल के अन्तर्गत ग्राम बिटाल एवं [illegible] को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक .... दिनांक ....

ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत बिटाल, वि.ख. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

सरपंच, ग्राम पंचायत बिटाल, वि.ख. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

ग्राम पंचायत .... बिटाल